कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–5/1032/2021/10–11/778 भोपाल, दिनांक 21/2/23

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदड़पुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 6-MPB 067/2021-BHO दिनांक 08.04..2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। वनमण्डलाधिकारी खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	A consolidated report of concerned DFO for current status of encroached forest area along with Revenue Forest Area in Omkareshwer shall be submitted.	प्रस्तावित गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु आवेदित स्थल ग्राम गोदड़पुरा आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 211 क्षेत्रफल 0.800 हेक्टेयर है। इस वन भूमि पर लगभग 21 वर्ष से अधिक पुराना अतिक्रमण है, जिस पर 19 वृक्ष सागौन एवं मिश्रित प्रजाति के है, जिसको काटने की आवश्यकता नहीं है। आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 211 में इसके अतिरिक्त वनभूमि पर कहीं भी अतिक्रमण नहीं है। इसके अतिरिक्त ग्राम गोदड़पुरा ओमकारेश्वर मे स्थित शासकीय राजस्व वनभूमि जो 7.669 हेक्टेयर क्षेत्र अतिक्रमित होकर बसाहट का क्षेत्र है।
2	The State Forest Department shall submit cogent reasons for not being able to evict said encroachments.	तत्कालीन रूप से वन विभाग की उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर बेदखली की कोई भी कार्यवाही तत्समय नहीं की गई थी।

3	The State Forest Department shall also submit detail action taken report against responsible persons/ authorities for violation	तत्समय पदस्थ वन अमला द्वारा उक्तानुसार अतिक्रमण क्षेत्र को बेदखल न कर पाने हेतु जिम्मेदार तत्कालीन वन मण्डलाधिकारी श्री एच0एस0 प्रुर्थी, उप वनमण्डलाधिकारी पुनासा श्री एस0एन0 शर्मा एवं परिक्षेत्राधिकारी श्री एम0 अजनार पदस्थ थे। तत्कालीन अधिकारी/कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं एवं उनका स्वर्गवास हो गया है। वर्तमान में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

अतः प्रकरण में आपके चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

21/2/2023

(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ–5/1032/2021/10–11/779 भोपाल, दिनांक 21/2/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, म.प्र.।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा, म.प्र

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/2023

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल